राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर

क्रमांकः– एफ2(1564) स्था/पमु/ 3899 दिनांकः 28-5-18

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 मे उत्तीर्ण अभ्यर्थियो को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1693/17 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार में पारित निर्णय की अनुपालना में जारी चयनित अभ्यार्थियों की सूची में से निम्न वर्णित अभ्यार्थियों की नियुक्ति डी.बी. अपील संख्या–965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह मे पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 एंव अन्य याचिकाओ/अपीलों के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहते हुये प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्र प.1(6)प्रसु/अनु–3/2017 दिनांक 08.02.2018 के द्वारा विभाग को आंवटित किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम–1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु (Probationer-Trainee) के रूप मे लिपिक ग्रेड–II (कनिष्ठ सहायक) के पद पर वित्त विभाग (नियम डिविजीन) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.17 के शिड्युल 4 के तहत लेवल 5 में 14600/– (अक्षरे चौदह हजार छ सौ मात्र) स्थिर पारिश्रमिक मासिक की दर पर अधोलिखित शर्तो पर कार्यभार संभालने की तिथि से उनके सम्मुख अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन एतद् द्वारा किया जाता है। उक्त समस्त नियुक्तियॉ उपरोक्त वर्णित रिट/अपीलों के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

क्र.स.	नाम	मेरिट नम्बर	संवर्ग	जन्म दिनांक	पदस्थापित कार्यालय का नाम
1	श्री हरिपाल सिंह पुत्र श्री रमेशचन्द चौधरी	3007	BC	01/01/1989	उप पंजीयक किशनगढबांस जिला अलवर

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। अस्थाई सेवाकाल में बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।
2. अभ्यर्थियो को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
3. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
4. उक्त नियुक्तियॉ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी, एससी, ओबिसी, एसबीसी/जा.प्र.प्र./सामान्य अवि/2015/54159 दिनांक 09.09.15 पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.15 एवं प. 11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सामान्य अवि/2011/68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.16 में वर्णित दिशा निर्देशो के अध्याधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
5. परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना एफ.12(6) एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6) एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2) एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1) एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) दिनांक 30.10.2017 के नियम 16 की अनुसुची–iv के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन, आदि देय नही होगे। उक्त नियुक्ति मे राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) 2017 की शर्ते प्रभावी रहेगी।
6. परिवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नही होगी।
7. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या 5 मे नियमानुसार वेतन एंव अन्य भत्ते देय होगे।
8. अभ्यर्थियों की वरिष्ठता राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा जारी मेरिट के अनुसार रहेगी।
9. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा मे कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्ति आदेश एंव गत भुगतान प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
10. अभ्यर्थियों का पदस्थापन अथवा स्थानान्तरण राज्य के किसी भी जिले मे किया जा सकता है।

11. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा एवं अन्य भत्ते देय नही होगे।
12. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि मे अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानानुसार देय होगे।
13. प्रोबेशर ट्रेनी की सेवाएँ किसी भी समय एक माह की लिखित सूचना अथवा उसके बदले में एक माह का फिक्स रेमुनरेशन देकर समाप्त की जा सकती है, किन्तु दुराचार/कदाचार संबंधी प्रतिवेदन पक्ष में नही होने के मामले में सेवाएँ समाप्त की जायेगी। तब किसी प्रकार की लिखित सूचना देना अनिवार्य नहीं है।राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ. 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.2004 एंव 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगे एंव अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एंव सेवालाभ देय होगे।
14. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगे।
15. कार्यग्रहण करने के पश्चात भविष्य मे किसी पद हेतु आवेदन करने या प्रतियोगी परीक्षा मे सम्मिलित होने से पूर्व तथा अग्रिम अध्ययन (Further Study) के लिए परीक्षा फार्म से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी से स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करनी होगी।
16. कार्यभार सम्भालने की रिपोर्ट 2 प्रतियों मे तैयार की जावे। एक प्रति संबंधित अधिकारी एंव दूसरी प्रति महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर को आवश्यक रूप से भेजें। अभ्यर्थी कार्यभार सम्भालने की रिपोर्ट ई–मेल igrs@rajasthan.gov.in के माध्यम से भी भेजी जावें।

(श्याम लाल गुर्जर)
महानिरीक्षक
पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : एफ2(1564)/स्था./पमु./2018/ दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) राजस्थान जयपुर को उनके पत्रांक 1(6)प्र0सु0/अनु–3/2017 दिनांक 08.02.2018 के संदर्भ में प्रेषित है।
2 जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर
3 उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक वृत्त अलवर–द्वितीय/ उप पंजीयक किशनगढबांस को भेजकर लेख है कि प्रशासनिक सुधार ग्रुप–3 के पत्रांक प.1.(6)प्रसु/अनु–3/2017 दिनांक 08.02.18 में दिये गये बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे।
4 कोषाधिकारी अलवर।
5 श्री हरिपाल सिंह पुत्र श्री रमेशचन्द चौधरी इन्द्रप्रस्थ कॉलानी, वार्ड न. 7, खोरी रोड शाहपुरा जिला जयपुर–303103
6 निजी पत्रावली श्री हरिपाल।
7. गार्ड फाईल।

(रेणु जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन)
पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर